(75)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 3801–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–7–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 23/2011–12/विविध

.....

भगवानलाल पुत्र स्व0विरखू पुत्र दिविया लोधी मृत वारिसान –
भगवानलाल पुत्र विरखू लोधी
निवासी ग्राम कोतर तहसील व जिला गुना म0प्र0

.....अपीलार्थी

विरूद्ध

1–महिला कल्लीबाई पुत्री दिविया पत्नी शंकरलाल
निवासी कोलुआ तहसील राधौगढ
2–मूलचन्द्र पुत्र श्री दिविया लोधी
निवासी ग्राम कोतर तहसील व जिला गुना म0प्र0
3–महिला तीजोबाई पुत्री दिविया पत्नी पन्नालाल लोधी
निवासी ग्राम सिलावटी परगना व जिला मुरैना

..... प्रत्यर्थीगण

.....

श्री एस0पी0धाकड़, अभिभाषक–अपीलार्थी
श्री अनिल गुप्ता, अभिभाषक–प्रत्यर्थीगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/2/13 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 35(4) के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–7–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित मूल प्रकरण कमांक 744/09–10/अपील में दिनांक 6–9–2011 को अपीलार्थी के

सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी की ओर से संहिता की धारा 35(3) के अन्तर्गत अपर आयुक्त के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 18–10–2011 को निरस्त किया गया । अपीलार्थी की ओर से पुनः मूल प्रकरण को पुर्नस्थापन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–7–2012 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि वे दिनांक 6–9–11 को माननीय उच्च न्यायालय में व्यस्थ थे, इसलिये अपर आयुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकें । अतः अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से अपर आयुक्त को प्रकरण पुर्नस्थापित करना चाहिये था, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण के निराकरण में रूचि नहीं ले रहा था, क्योंकि वे अपर आयुक्त न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में अनेक पेशियों से अनुपस्थित चले आ रहे थे, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण अदम पैरवी में खारिज करने में वैधानिक कार्यवाही की गई थी, अतः पुर्नस्थापन आवेदन पत्र निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है, जिसे स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा अपीलार्थी की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया है और आवेदक की ओर से मूल प्रकरण पुर्नस्थापना हेतु आवेदन पत्र भी उनके द्वारा निरस्त किया गया है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सामान्यतः प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधार पर नहीं किया जाकर गुणदोष पर किया

जाना चाहिये जिससे पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–7–2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाये कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–7–2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर